

तारीख  
हुकम

शु.ने. 17/2020 प्राप्य स्थानांतरण

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख  
अहकाम जो इस  
हुकम की तामील  
में जारी हुए

उनवान- देवलाराम बनाम भुली व अन्य

१२५-२२

आधिकारिता प्राचीन उपस्थित। राजकीय आधिकारिता  
उपस्थित। राजकीय आधिकारिता द्वारा निवेदन  
किया गया कि विचाराधीन प्राचीन पत्र स्थानांतरण  
में उल्लेखित तत्कालीन पीछासीन अधिकारी  
उप तहसीलदार सिमन्दरा श्री जयसिंह का  
स्थानांतरण हो चुका है ऐसी स्थिति में प्राचीन  
पत्र स्थानांतरण को चलाये जाने का औचित्य नहीं  
है। इसलिये विचाराधीन प्राचीन पत्र स्थानांतरण  
को खारिज करमाया जाये। आधिकारिता प्राचीन  
द्वारा भी राजकीय आधिकारिता के उक्त कथन से  
कोई आपत्ति नहीं होना व्यक्त किया गया।

प्रकरण में तत्कालीन पीछासीन अधिकारी  
श्री जयसिंह उप तहसीलदार सिमन्दरा का  
स्थानांतरण हो चुका है इसलिये विचाराधीन  
प्राचीन पत्र स्थानांतरण को आगे चलाया जाने  
का औचित्य नहीं है तथा आधिकारिता प्राचीन द्वारा  
भी प्राचीन पत्र स्थानांतरण खारिज किये जाने में  
कोई आपत्ति नहीं होना व्यक्त किया गया है।

आतः उप तहसीलदार सिमन्दरा जिला दोसा  
के न्यायालय में विचाराधीन नामांतरण संपत्र  
क्रम संख्या ११ संवेदित पत्रावली को अन्य  
सक्षम न्यायालय में स्थानांतरण हेतु प्राचीन श्री  
देललाराम पुत्र श्री जगन जाति गुर्जर विवाही  
मोरियाडा तहसील सिमराय द्वारा इस न्यायालय  
में प्रस्तुत प्राचीन पत्र स्थानांतरण खारिज किया  
जाता है। निवेदन की प्रति अधीनस्थ न्यायालय  
उप तहसीलदार सिमन्दरा जिला दोसा में भिजवाई  
गयी। पत्रावली फैसल श्रुति की जाकर नम्बर सं  
क्रम दो एवं बाद प्रति प्रविष्ट लेख भंडार की जाके  
निवेदन आज दिनांक २२-५-२०२२ को मेरे द्वारा  
उत्तरे न्यायालय में सुनाया गया।

Recd  
Copy  
946  
25/5/22



(आर. के. मीना)  
अति. जिला कलक्टर